न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– सुमन देवी (RAS)
मुकदमा नम्बर :– 91 / 2024
GCMS NO. 2024/200

श्री इन्द्र सिंह, सरपंच ग्राम पंचायत श्यामपुरा मैनाना पंचायत समिति सिंघाना जिला झुंझुनूं (राज0)

..................प्रार्थी / आवेदक

– ब ना म –

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भू0अ0) बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)

..................अप्रार्थी / अनावेदक

प्रार्थना पत्र बाबत – रास्ता कायमी
अन्तर्गत धारा 131, 132 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :–

1. श्री राजेश कुमार यादव — अभिभाषक — प्रार्थी / आवेदक
2. श्री अशोक कुमार यादव
3. श्री मनोज कुमावत

–: निर्णय :– दिनांक :– **07.04.2025**

उपर्युक्त उनवानी प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से दिनांक **14.05.2024** को इस आशय का पेश किया गया है कि :–

1. यह कि राजस्व विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.09.1956 के द्वारा धारा 131, 132 एवं 136 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी को प्राप्त शक्तियों के अनुसार ग्राम मैनाना की आबादी भूमि से ग्राम सुलताना अहीरान की राजस्व सीमा तक प्रचलित रास्ता को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के संबंध में निवेदन है कि ग्राम पंचायत प्रस्ताव दिनांक 05.12.2023 के अनुसार ग्राम मैनाना की आबादी भूमि से ग्राम सुलताना अहीरान की राजस्व सीमा तक खसरा नम्बर 234 के रूप में नजरी नक्शा के अनुसार प्रचलित रास्ता को राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने योग्य है। जिससे कि आम जनता को इस रास्ते की निरन्तर सुविधा प्राप्त होती रहे एवं ग्राम पंचायत द्वारा रास्तों के समतलीकरण एवं सुदृढ़िकरण की कार्यवाही की जा सके। ग्राम मैनाना के इस भूमि के खातेदारों द्वारा सहमति पत्र दिया जा चुका है जो प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं ग्राम पंचायत की बैठक की कार्यवाही की नकल एवं जमाबन्दी एवं नजरी नक्शा एवं पटवारी रिपोर्ट प्रार्थना पत्र साथ पेश की जा रही है।
2. **अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया** है कि ग्राम मैनाना की आबादी भूमि से ग्राम सुलताना अहीरान की राजस्व सीमा तक प्रचलित रास्ता को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का आदेश दिये जावे।
3. प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी से मौका रिपोर्ट ली गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.04.30 15:53:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

4. अप्रार्थी / तहसीलदार (भू0अ0) बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0) ने अपने पत्रांक भू.अ. / 2024 / 1653 दिनांक 08.07.2024 से इस आशय की विस्तृत तथ्यात्मक एवं वर्तमान मौका रिपोर्ट भिजवाई है कि रास्ता ग्राम मैनाना की आबादी भूमि से सुलताना अहीरान की सीमा तक प्रचलित रास्ता है जो आदिनांक खुला है तथा आवागमन हो रहा है। उक्त रास्ता राजस्व नक्शा सीट में खसरा नम्बर 632 / 234 रकबा 0.0700 हेक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 631 / 234 रकबा 0.0800 हेक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 630 / 234 रकबा 0.0400 हेक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 629 / 234 रकबा 0.0400 हेक्टेयर, किस्म बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 628 / 234 रकबा 0.2000 हेक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 627 / 234 रकबा 0.1000 हेक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 626 / 234 रकबा 0.0900 हेक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय, खसरा नम्बर 625 / 234 रकबा 0.0800 हेक्टेयर किस्म बारानी प्रथम व खसरा नम्बर 234 रकबा 0.0500 हेक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय आदि के रूप में दर्शाया हुआ है तथा राजस्व नक्शा सीट में उक्त रास्ता कटा हुआ है। परन्तु उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में गैर मुमकीन रास्ता दर्ज न होकर खातेदारी में बारानी प्रथम व बारानी द्वितीय आदि के रूप में दर्ज रिकार्ड है। अतः श्रीमान् जी उक्त रास्ते की किस्म बारानी प्रथम व बारानी द्वितीय की बजाय गैर मुमकीन रास्ता दर्ज किया जाना उचित है। जमाबन्दी खाता संख्या 27 में खसरा नम्बर 103, 145, 170, 171, 217, 270, 275, 276, 333, 402 पर स्थगन है जो न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर द्वारा दिनांक 30.11.2015 जारी किया हुआ है जमाबन्दी में नोट लगा हुआ है।

5. प्रार्थी की ओर से पत्रावली पर दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में राजस्व ग्राम **मैनाना** पटवार हल्का **श्यामपुरा मैनाना** की नकल जमाबन्दी संवत 2075–2078 हाल खाता संख्या 121, 122, 123, 30, 12, 27, 164, 97, 57 पेश हुई व पटवारी हल्का श्यामपुरा मैनाना की मौका रिपोर्ट दिनांक 24.06.2023 की फोटो प्रति, नक्शा सीट की फोटो प्रति, खातेदार काश्तकारों का सहमति शपथ पत्र मूल, ग्राम पंचायत श्यामपुरा मैनाना का प्रमाण पत्र दिनांक 05.12.2023 मूल तथा ग्राम पंचायत श्यामपुरा मैनाना के बैठक प्रस्ताव संख्या 2 की प्रमाणित प्रति पेश हुये। पत्रावली पर भूमिधारी अप्रार्थी की ओर से नक्शा किश्तवार ग्राम मैनाना जिसमें अनुतोषित रास्ता जो रास्तानुमा आकृति में दर्ज है, जिसके खसरा नम्बर भी पृथक से दर्ज है कि प्रमाणित प्रति पेश की गई।

6. आवाज पर अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित आये। अधिवक्ता प्रार्थी के निवेदन पर बहस अधिवक्ता प्रार्थी एक पक्षीय सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि राजस्व ग्राम मैनाना की आबादी भूमि से सुलताना अहीरान की सीमा तक प्रचलित रास्ता है जो आदिनांक खुला है तथा आवागमन हो रहा है। उक्त रास्ता राजस्व नक्शा सीट में खसरा नम्बर 632 / 234 रकबा 0.0700 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 631 / 234 रकबा 0.0800 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 630 / 234 रकबा 0.0400 हेक्टेयर,खसरा नम्बर 629 / 234 रकबा 0.0400 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 628 / 234 रकबा 0.2000 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 627 / 234 रकबा 0.1000 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 626 / 234 रकबा 0.0900 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 625 / 234 रकबा 0.0800 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 234 रकबा 0.0500 हेक्टेयर के रूप में दर्शाया हुआ है तथा राजस्व नक्शा सीट में उक्त रास्ता कटा हुआ है। परन्तु उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में गैर मुमकीन रास्ता दर्ज न होकर खातेदारी में बारानी प्रथम व बारानी द्वितीय आदि के रूप में दर्ज रिकार्ड है। अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस के अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र में अनुतोषित प्रचलित रास्ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.04.30 15:53:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

जो नक्शा सीट में रास्ता के रूप में दर्ज है कि जमाबन्दी में किस्म बारानी प्रथम व बारानी द्वितीय की बजाय **गैर मुमकीन रास्ता** दर्ज की जावे।

7. पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया गया तथा अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। जमाबन्दी सम्वत् 2075–2078 राजस्व ग्राम मैनाना पटवार हल्का **श्यामपुरा मैनाना** तहसील बुहाना के हाल खाता संख्या 121, 122, 123, 30, 12, 27, 164, 97, 57 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वाद वर्णित भूमि खसरा नम्बर 632/234 रकबा 0.0700 हेक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 631/234 रकबा 0.0800 हेक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 630/234 रकबा 0.0400 हेक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 629/234 रकबा 0.0400 हेक्टेयर, किस्म बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 628/234 रकबा 0.2000 हेक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 627/234 रकबा 0.1000 हेक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 626/234 रकबा 0.0900 हेक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय, खसरा नम्बर 625/234 रकबा 0.0800 हेक्टेयर किस्म बारानी प्रथम व खसरा नम्बर 234 रकबा 0.0500 हेक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय आदि के रूप में दर्ज रिकार्ड है तथा राजस्व नक्शा सीट में उक्त खसरा नम्बरों की भूमि रास्ता के रूप में कटी हुई है। परन्तु उक्त रास्ता की भूमि राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में गैर मुमकीन रास्ता दर्ज न होकर खातेदारी में किस्म बारानी प्रथम व बारानी द्वितीय आदि के रूप में दर्ज रिकार्ड है। जिसे राजस्व (ग्रुप–6) विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर के परिपत्र क्रमांक प. 3 (2) राज–6/2003/पार्ट दिनांक 10.08.2016 के परिप्रेक्ष्य में किस्म बारानी प्रथम एवं बारानी द्वितीय के स्थान पर किस्म गैर मुमकीन रास्ता दर्ज किया जाना विधिसम्मत है। लिहाजा

आदेश

8. अतः प्रार्थी का हस्तगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। वाके राजस्व ग्राम **मैनाना** पटवार हल्का श्यामपुरा मैनाना तहसील बुहाना स्थित भूमि जमाबन्दी संवत 2075–2078 के हाल खाता संख्या 121, 122, 123, 30, 12, 27, 164, 97, 57 के हाल खसरा नम्बर 632/234 रकबा 0.0700 हेक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 631/234 रकबा 0.0800 हेक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 630/234 रकबा 0.0400 हेक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 629/234 रकबा 0.0400 हेक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 628/234 रकबा 0.2000 हेक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 627/234 रकबा 0.1000 हेक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 626/234 रकबा 0.0900 हेक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय, खसरा नम्बर 625/234 रकबा 0.0800 हेक्टेयर किस्म बारानी प्रथम व खसरा नम्बर 234 रकबा 0.0500 हेक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय के स्थान पर उपरोक्त समस्त खसरा नम्बरों की किस्म **गैर मुमकीन रास्ता** राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का तहसीलदार (भू.अ.) को आदेश दिया जाता है। राजस्व (ग्रुप–6) विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर के परिपत्र क्रमांक प. 3 (2) राज–6/2003/पार्ट दिनांक 10.08.2016 के परिप्रेक्ष्य में निजी खातेदारी की भूमि में से चालू स्थायी सार्वजनिक रास्ता संबंधित खातेदारों की खातेदारी में ही रहेगा। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार (भू0अ0) बुहाना के नाम तहरीर जारी हो।

9. निर्णय आज दिनांक **07.04.2025** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुमन देवी)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनू (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.04.30 15:53:19 IST
Reason: SelfAttested